कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री प्रशान्त वर्मा पुत्र श्री ज्ञानचन्द कानखेडिया, रैगर मौहल्ला, वार्ड नं0 22, भैरूजी मन्दिर के पास दौसा राजस्थान।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलक्टर)दौसा, जिला दौसा

अपील सं0 03/2020

<u>निर्णय</u> दिनांक :05.03.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलक्टर)दौसा, जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल पूर्ण प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलक्टर)दौसा, जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति पत्रांक डी0एम0/कोर्ट/2020/501 दिनांक 14.02.2020 द्वारा प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित उनके पत्रांक आरटीआई/2020/207 दिनांक 02.03.2020 द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी (सर्तकता शाखा)कलेक्ट्रेट दौसा एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा) कलेक्ट्रेट दौसा से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांकः आरटीआई/2020/45–46 दिनांक 13.01.2020 द्वारा संबंधित को धारा 6(3) मे स्थानान्तरित किया गया था। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी(सर्तकता शाखा)कलेक्ट्रेट दौसा एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा) कलेक्ट्रेट दौसा से प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांकः आरटीआई/2020/86 दिनांक 30.01.2020 द्वारा आवेदक को दे दी है। उक्त पत्र क्रमांक 86 दिनांक 31.1.2020 की प्रति संलग्न पत्रावली है। चूॅकि उक्त पत्र में अंकितानुसार आवेदक को लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(अखिल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official